

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

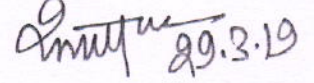
क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 778 /2019

दिनांक 30.03.2019

श्री मनीष अग्रवाल (RJ0323), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, राजसमन्द को दिनांक 04.04.2019 से 05.04.2019 तक 02 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 06.04.2019 से 07.04.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री अग्रवाल की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, राजसमन्द के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से
 29.3.19

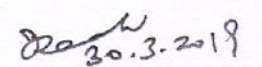
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/28/2000/3093

दिनांक 30.03.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, राजसमन्द को उनके पत्रांक 97 दिनांक 15.03.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्री मनीष अग्रवाल (RJ0323), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, राजसमन्द ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द ।

 30.3.2019
सहायक रजिस्ट्रार